फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

फूला देवी बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अ0धा0 128एल.आर.ए. मु0नं0– 77/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब तहसीलदार प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा संख्या 29, 29/1859 वाके रामा भराव तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है एवं सीमाचिन्ह स्थापित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी भूमि के पडौसी खातेदार उक्त सीमाचिन्हों को मानने से इन्कार करते है एवं प्रार्थीया की खेत की मेड तोडकर जबरन काश्त करने पर आमादा हो रहे है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जवाब स्टेट तलब किया गया। प्रकरण में बहरावण्डा द्वारा जवाब पेश किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बहरावण्डा वादी ग्राम भराव के खसरा नम्बर 29 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा 29/1859 के आंशिक रकबे पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है जिस पर 128 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कार्यवाही करवाने का पूर्ण अधिकार है। जवाब स्टेट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीया को पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि आराजी खसरा नम्बर 29, 29/1859 वाके रामा भराव तहसील बहरावण्डा जिला दौसा की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा नियमानुसार पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	